न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

कृष्णलाल बनाम राजाराम आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील सं. 167/2018

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
29.10.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 11.10.2018 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा प्रार्थी / रेस्पों. द्वारा स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है कि वे चक 165 आर.डी.एल. के प.नं. 133/54 के किला नं. 1 के पश्चिमी पासा में प्रार्थना पत्र के निर्णय तक आवागमन में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अधी. न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। मौका पर किसी प्रकार से रास्ता चालू नहीं है। इस स्थगन आदेश की आड़ में कोई नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता जबकि इसकी आड़ में मौके पर नया रास्ता कायम किया जा रहा है। वस्तुतः प्रकरण में रेस्पो0 [redacted] द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में रास्ते की मांग नहीं की है। अधी0 न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय किया है। अतः स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश की कियान्विति स्थगित रखी जावे जबकि वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका पर	त

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रास्ता चालू पाये जाने पर अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र के निर्णय तक आदेश पारित किया है। अपीलांट अधी. न्यायालय में जबाब पेश नहीं कर रहा। अपीलांट यहां से स्थगन आदेश प्राप्त कर उसकी आड़ रास्ता को बन्द करना चाहता है । प्रकरण में 151 सीपीसी के तहत आदेश पारित किया है उसके विरूद्ध कोई अपील संभव नहीं है इस संबंध में रिविजन ही हो सकती है। अतः प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय में रेस्पों. द्वारा 251ए आर.टी.ए. का प्रा.पत्र पेश किया जिसमें स्थगन प्रा.पत्र पेश करने पर प्रा.पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 22.10.2018 नियत थी। चुंकि अधी. न्यायालय द्वारा अभी 251ए के प्रा.पत्र का निस्तारण किया जाना है। ऐसी स्थिति में अपील एडमिशन के स्तर पर ही इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि अधी. न्यायालय धारा 251ए के प्रा.पत्र का निर्णय एक माह के भीतर करें, तब तक पूर्व में यदि कोई रास्ता चालू हो तो उस चालू रास्ता को बन्द नहीं किया जावे एवं आदेश दिनांक 11.10.2018 के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जावे। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)